

(पंकज जैन, जे.)

अजय तिवारी और पंकज जैन से पहले, जे. जे.

मेसर्स राघव मेटल्स-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादी 2021 का सीडब्ल्यूपी No.25057

14 मार्च, 2022

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-हरियाणा जी. एस. टी. अधिनियम, 2017-केंद्रीय जी. एस. टी. अधिनियम, 2017-दिल्ली जी. एस. टी. अधिनियम, 2017-खंड से बचने का इरादा-भौतिक सत्यापन पर-पारगमन में तांबे के तारों और तांबे के स्क्रेप की वास्तविक मात्रा और चालान और ई-वे बिल में दिखाई गई मात्रा में विसंगति-राज्य का दावा-कम मात्रा में याचिकाकर्ता को खंड से बचने का इरादा दिखाखंड-स्वीकार नहीं किया गया-वजन में केवल 1 प्रतिशत का अंतर, Rs.11,000/- से अधिक की चोरी-भुगतान किया गया खंड Rs.12,76,717.68p-माना जाता है, याचिकाकर्ता का खंड से बचने का कोई इरादा नहीं था-अधिनियम के उल्लंघन में बेमेल नहीं-याचिकाकर्ता ने भुगतान खंडने की पेशकश की। याचिका मंजूर धारा 129 को हटा दिया गया।

ऐसा किया, याचिकाकर्ता के बुद्धिमान वकील को सुनकर पाया कि जी. एस. टी. एम. ओ. वी.-06 (अनुलग्नक पी-14) में उठाए गए दूसरे आधार को भी रद्द किया जाना चाहिए। ई-चालान (अनुलग्नक पी-4/ए) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भेजे गए माल की मात्रा 10430.7 किलोग्राम दिखाई गई है। रु. की राशि। 1276717.68-खेप पर कर के रूप में भुगतान किया गया है जबकि राज्य के अनुसार, यह 10520 किलोग्राम था। वजन में उक्त अंतर 1 प्रतिशत से कम है। राज्य के अनुसार, कथित चोरी Rs.11000-से अधिक नहीं होगी।

(पैरा 8) ने आगे कहा कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता का कर से बचने का कोई इरादा था या मात्राओं में

बेमेल ऐसी प्रकृति का है जिसमें अधिनियम की खंड 129 के तहत कार्यवाही की जाएगी। एक व्यक्ति, जो पहले ही रुपये का कर चुका चुका चुका है। 1276717.68- किसी खेप पर Rs.11000-की राशि कर से बचने का इरादा नहीं कहा जा सकता है। इस स्तर पर, श्री गोयल कहते हैं कि याचिकाकर्ता राज्य-प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए कर और जुर्माने का भुगतान करने के लिए भी तैयार है जो लगभग Rs.22000-के आसपास आता है।

(पैरा 9)

982

0 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(1)

इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए निष्पक्ष रुख और इस तथ्य के आलोक में कि बेमेल को अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है, हम वर्तमान रिट याचिका को अनुमति देना उचित समझते हैं। अधिनियम की खंड 129 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही इसके द्वारा रद्द कर दी जाती है। याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाया गया जुर्माना और जुर्माना, यदि कोई हो और उसके द्वारा जमा किया गया हो, तो इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर उसे वापस कर दिया जाए। चूंकि माल पहले ही जारी किया जा चुका है, इसलिए आगे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

(पैरा 10)

संदीप गोयल, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

श्रुति जैन गोयल, प्रतिनिधि प्रतिवादी के लिए संख्या 1 से 4 के लिए महाधिवक्ता  
हरियाणा।

पंकज जैन, जे।

(1) वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने हरियाणा जी. एस. टी. अधिनियम, 2017/केंद्रीय जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की खंड 129 के तहत कार्यवाही में प्रतिवादी/अधिकारियों की कार्रवाई और उसके माल के परिणामी अवरोध पर सवाल उठाया है। (2) याचिकाकर्ता के अनुसार, वह तांबे के

तारों और तांबे के टुकड़ों के व्यवसाय में लगा हुआ है, जो पूरे देश में स्थित डीलरों से खरीदे जाते हैं और वह दिल्ली जी. एस. टी. अधिनियम, 2017/केंद्रीय जी. एस. टी. अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत है। याचिकाकर्ता का दावा है कि व्यवसाय के सामान्य क्रम में, उसने मैसर्स आर. एन. टी. मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड, भिवाड़ी (राजस्थान) को तांबे के टुकड़े 69,594/- (आई. जी. एस. टी. @18 प्रतिशत सहित) की राशि में बेचे। जबकि उपरोक्त माल वाहन No.HR-55S-1938 में ले जाया गया था, उन्हें प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा मानेसर में 27.11.2021 पर रोक दिया गया था। माल के साथ वैध चालान No.RM/64/21-22 और ई-वे बिल थे, जैसा कि अधिनियम के तहत विचार किया गया था। अधिकारियों के कहने पर, उक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया था, हालांकि माल ले जाने वाले वाहन को खड़ा करने का आदेश दिया गया था और फॉर्म जी. एस. टी. एम. ओ. वी.-02 जारी किया गया था। जी. एस. टी. एमओ. वी.-02 का जवाब 03.12.2021 पर दाखिल किया गया था। उसी तारीख को प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रपत्र जी. एस. टी. एम. ओ. वी.-06 (अनुलग्नक पी-14) में अधिनियम की खंड 129 (1) के तहत निरोध का आदेश जारी किया। उक्त आदेश के अनुसार, निम्नलिखित विसंगतियाँ पाई गई हैं:-

**माल और परिवहन के भौतिक सत्यापन के बाद देखी गई विसंगतियाँ मेसर्स राघव धातु बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**

983

(पंकज जैन, जे.)

	आवाजाही में माल और निविदा किए गए दस्तावेजों के बीच बेमेल, जिसका विवरण नीचे दिया गया है - (क) (ख)
	ई-वे बिल और आवाजाही में सामान के बीच बेमेल, जिसका विवरण नीचे दिया गया है - (क) (ख)----- 90 कि. ग्रा. और 700 ग्राम सी)
	वैध दस्तावेजों द्वारा कवर नहीं किए गए सामान, और विवरण निम्नानुसार हैं - (क) (ख)
	अन्य (निर्दिष्ट करें) साफ तोर पर क) पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावा ----- ----- -----

इसके अलावा, अधिनियम की खंड 129 (3) के तहत याचिकाकर्ता को फॉर्म जी. एस. टी. एम. ओ. वी.-07 (अनुलग्नक पी-15) में नोटिस जारी किया गया था।

(3) याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर करते हुए दावा किया कि उसके खिलाफ अधिनियम की खंड 129 के तहत कार्यवाही अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

(4) नोटिस पर, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने लिखित बयान दायर किया। तथ्य विवादित नहीं हैं।

(5) हमने पार्टियों के वकील सुना है और वर्तमान मामले के रिकॉर्ड को ध्यान द्वारा देखा है।

(6) प्रतिवादी के वकील ने निष्पक्ष रूप से कहा है कि जहां तक याचिकाकर्ता के आपूर्तिकर्ता द्वारा फर्जी खरीद के संबंध में मुद्दा है, इस मुद्दे का निपटारा इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून द्वारा किया गया है।

'एम/एस' का मामला। शिव उद्यम बनाम पंजाब राज्य और अन्य' -

सी. डब्ल्यू. पी.-18392-2021 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

“.....कथित 'कर चोरी करने के इरादे' का व्यापारी की गतिविधि के साथ सीधा संबंध होना चाहिए। अधिकारियों द्वारा बनाई गई राय के तहत आगे बढ़ने से पहले इस तरह की सांठगांठ को दर्शाती होनी चाहिए।

0 आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(1)

2017 अधिनियम की खंड 130। एक व्यापारी पर उस व्यक्ति के कार्य या चूक के लिए कर के भुगतान से बचने का इरादा रखने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है जो तुरंत उसकी गतिविधि से जुड़ा नहीं है। राज्य के विद्वान वकील ने सहमति व्यक्त की कि भले ही कोई व्यापारी विवेकपूर्ण होना चाहता हो, लेकिन ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जहां से वह यह जांच कर सके कि आपूर्ति श्रृंखला में उसके पूर्ववर्तियों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का भुगतान किया है या नहीं। अर्थात्, एक व्यापारी के लिए यह पता लगाना लगभग असंभव है कि उसके पूर्ववर्तियों द्वारा इनपुट कर का भुगतान किया गया है या नहीं और इसी कारण से इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे को जांच और मूल्यांकन के अधीन किया गया है। यह मौलिक

कानूनी सिद्धांत है जो कानूनी उक्ति "LEX NON COGIT AD IMPOSSIBILIA" में अंतर्निहित है-कि कानून किसी व्यक्ति को वह करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो वह संभवतः नहीं कर सकता है। एक बार जब किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जो संभव नहीं है, तो निश्चित रूप से उसे ऐसा नहीं करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है।”

(7) हालाँकि, हरियाणा के उप महाधिवक्ता बताते हैं कि भौतिक सत्यापन पर वास्तविक मात्रा और चालान और ई-वे बिल में दिखाई गई मात्रा में विसंगति पाई गई थी। वास्तविक मात्रा 90 किलोग्राम पाई गई। 700 ग्राम। चालान के अनुसार जो पाया गया है उससे अधिक। इस प्रकार, वह दावा करती है कि कम मात्रा दिखाकर याचिकाकर्ता ने कर से बचने का इरादा किया था।

(8) बुद्धिमान वकील को सुनकर पाया कि जी. एस. टी. एम. ओ. वी.-06 (अनुलग्नक पी-14) में उठाए गए दूसरे आधार को भी रद्द किया जाना चाहिए। ई-चालान (अनुलग्नक पी-4/ए) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भेजे गए माल की मात्रा 10430.7 किलोग्राम दिखाई गई है। रु. की राशि। 1276717.68-खेप पर कर के रूप में भुगतान किया गया है जबकि राज्य के अनुसार, यह 10520 किलोग्राम था। वजन में उक्त अंतर 1 प्रतिशत से कम है। राज्य के अनुसार, कथित चोरी Rs.11000-से अधिक नहीं होगी।

(9) इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता का कर से बचने का कोई इरादा था या मात्रा में बेमेल ऐसी प्रकृति का है जिसमें अधिनियम की खंड 129 के तहत कार्यवाही की जाएगी। एक व्यक्ति, जो पहले ही रुपये का कर चुका चुका चुका है। 1276717.68-किसी खेप पर Rs.11000-की राशि कर से बचने का इरादा नहीं कहा जा सकता है। इस स्तर पर, श्री गोयल कहते हैं कि याचिकाकर्ता राज्य-प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए कर और जुर्माने का भुगतान करने के लिए भी तैयार है जो लगभग Rs.22000-के आसपास आता है।

मेसर्स राघव मेटल्स बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 985

(पंकज जैन, जे.)

(10) याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए निष्पक्ष रुख और इस तथ्य के आलोक में कि बेमेल को अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है, हम

वर्तमान रिट याचिका को अनुमति देना उचित समझते हैं। अधिनियम की खंड 129 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही इसके द्वारा रद्द कर दी जाती है। याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाया गया जुर्माना और जुर्माना, यदि कोई हो और उसके द्वारा जमा किया गया हो, तो इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर उसे वापस कर दिया जाए। चूंकि माल पहले ही जारी किया जा चुका है, इसलिए आगे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Translator Vijay Girdhar